गवाही देना

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामलों में
युवाओं के लिए पुस्तिका

गवाही देना

बच्चों की सुनवाई के अदालती मामलों में
युवाओं के लिए पुस्तिका

स्प्रिंगबर्न (Springburn) के एलबर्ट प्राइमरी स्कूल (Albert Primary School) और पॉलॉकशील्ड्स (Pollokshields) के ग्लेनडेल प्राइमरी स्कूल (Glendale Primary School) के बच्चों को विशेष धन्यवाद।

चित्रः एलेनर मेरेडिथ (Eleanor Meredith),
डनकन जॉर्डनस्टोन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन (Duncan of Jordanstone College of Art and Design), यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी (University of Dundee)

स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) के लिए ऐस्ट्रन (Astron) B41393 06/05 द्वारा निर्मित
स्कॉटिश प्रशासन (Scottish Executive) द्वारा प्रकाशित, जून, 2005
यह दस्तावेज़ 100% पुनरुत्पादित कागज पर मुद्रित है और 100% पुनःप्रयोग्य है।

विषय–सूची

01 परिचय

02 गवाह क्या है?

04 गवाह बननें के बारे में आप कैसा महसूस करते है?

06 आपकी मदद कौन कर सकता है?

08 आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

09 अदालत

10 अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या हैं?

11 अदालती कार्रवाई – आपको क्या करना है

12 अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं

14 आपको गवाही देने में मदद के लिए विशेष उपाय

16 टेलीविजन लिंक का प्रयोग करना

18 ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

20 सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

21 आपको गवाही देने में मदद का एक अन्य विशेष उपाय

22 कोई विशेष उपाय चुनना

23 अदालत में जाना

24 गवाही देने के लिए प्रतीक्षा करना

25 आपके गवाही देने के बाद क्या होता है?

26 सहायता माँगने की याद रखें

28 प्रश्न?

29 क्या आपके कोई प्रश्न हैं?

30 शब्दावली – इन शब्दों का अर्थ क्या है?

परिचय

आपको यह पुस्तिका इसलिए दी गई है क्योंकि आप बच्चों के रिपोर्टर या वकील से बच्चों की सुनवाई के एक अदालती मामले में गवाही देने जा रहे हैं।

संभवतः आपको इस बारे में बच्चों के रिपोर्टर या वकील से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

कुछ लोग गवाह बनने के लिए कहे जाने पर चिंतित होते हैं। कुछ लोग यह नहीं जानते कि गवाह बनना क्या होता है।

यह पुस्तिका आपको गवाह बनने के बारे में अधिक जानकारी देगी और कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगी।

अदालतें अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं जिन्हें शायद आपने पहले न सुना हो। उन्हें समझने में आपकी मदद के लिए इस पुस्तिका के अंत में ऐसे कुछ शब्दों की सूची दी गई है।

गवाह क्या है?

गवाह वह व्यक्ति है, जो हो सकता है कुछ महत्त्वपूर्ण बातें जानता हो।

बच्चों की सुनवाई का मामला, आम तौर पर, किसी बच्चे या युवा के प्रति चिंता से शुरू होता है। हो सकता है, आपने किसी अपराध के बारे में कुछ देखा या सुना हो या शायद आप खुद किसी अपराध के शिकार हुए हों।

शायद आपने पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता या किसी वकील से बात की है, और उन्हें बताया है कि आप क्या जानते हैं।

जब पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता सभी बातों की जाँच कर लेते हैं, तब वह बच्चों के रिपोर्टर के पास अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। रिपोर्टर का काम यह फ़ैसला करना है कि मामला, बच्चों की सुनवाई में भेजा जाय या नहीं।

कभी–कभी बच्चों की सुनवाई में, लोगों के बीच इस बात पर सहमति नहीं होती कि क्या हुआ था; या यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्या हुआ था। ऐसी स्थिति में बच्चों की सुनवाई का मामला अदालत में ले जाने की ज़रूरत होती है।

इसके बाद आपको अदालत को यह बताना पड़ सकता है कि इस बारे में आप क्या जानते हैं। इसे आपकी 'गवाही' कहा जाता है।

एक बार जब आप और अन्य गवाह अपनी गवाही दे चुकते हैं, तब यह फैसला किया जा सकता है कि क्या हुआ था और इसके बाद क्या होना चाहिए।

यह फैसला अदालत केवल आप जैसे गवाहों से मिलने वाली सूचनाओं की मदद से ही कर सकती है।

गवाह बनने के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं?

बहुत से लोग गवाह होते हैं, इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं।

गवाह बनना बहुत महत्त्वपूर्ण है।
यह सच बोलना ही है।

कुछ लोग गवाही देने या अदालत में जाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। चिंता न करें। आपकी मदद के लिए बहुत से बातें हैं, जो की जा सकती हैं।

आपको एक पत्र मिला होगा, जिसमें वह तारीख और समय दिया होगा जब आपकी गवाह के रूप में जरूरत पड़ेगी।

यदि वह तारीख़ आपके लिए कठिन होने का कोई महत्त्वपूर्ण कारण है, जैसे कि यदि आपको उस दिन स्कूल में कोई परीक्षा देनी है, तो आपको उसके बारे में, जितनी जल्दी हो सके रिपोर्टर या वकील को बता देना चाहिए।

यहाँ कुछ बातें हैं, जिनके बारे में अन्य युवाओं ने पूछा है।

अदालत में क्या होता है?

अदालत में कौन–कौन होगा?

क्या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, जिससे मुझे डर लगता है?

क्या मैं सुरक्षित रहूँगा?

क्या मैं अकेला रहूँगा?

क्या मैंने कुछ गलत काम किया है?

मैं अपने स्कूल में या अपने दोस्तों से क्या कहूँगा?

जब मैं गवाही दूँगा तो मेरी मदद कौन कर सकता है?

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी से इन प्रश्नों के उत्तर पाने में मदद मिलेगी।

आपकी मदद कौन कर सकता है?

बहुत से ऐसे लोग हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं।

कभी–कभी दोस्तों से बात करने से मदद मिल सकती है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो अपने परिवार या स्कूल में किसी से बात करना आपके लिए आसान हो सकता है। कुछ अन्य लोग भी हैं, जिनका काम है आपकी मदद करनाः

बच्चों का रिपोर्टर आपकी मदद कर सकता है। शायद आप उससे बात कर चुके हैं; जब उसने आपसे आपकी गवाही के बारे में प्रश्न पूछे थे। वे आपको अदालत के बारे में बतायेंगे और यह भी समझायेंगे कि वहाँ क्या होगा।

वकील ने शायद आपसे गवाही देने को कहा होगा। आप उनसे भी कह सकते हैं कि वे आपकी मदद करें।

सामाजिक कार्यकर्ता वह व्यक्ति है, जो उन लोगों के साथ काम करता है, जिन्हें अतिरिक्त सहायता की जरूरत हो। वे आपकी बात सुनेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

हितरक्षक – कुछ मामलों में हितरक्षक (safeguarder) नामक व्यक्ति आपकी मदद करेगा।

आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

हो सकता है, बच्चों के रिपोर्टर या वकील आपसे प्रश्न पूछना चाहें। इससे उन्हें अदालत के लिए मामला तैयार करने में मदद मिलती है।

वे आपको पत्र भेजेंगे, जिसमें आपको बताया जायेगा कि वे कब आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास जाते समय, आप अपने साथ और समर्थन के लिए किसी वयस्क व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। उनसे पूछ लीजिए कि क्या मुलाकात के दौरान वह व्यक्ति आपके साथ बैठ सकता है।

हो सकता है, अन्य वकील भी आपसे बात करना चाहें और आप सोच लें कि आप उनसे कहाँ मिलना चाहेंगे। कुछ युवा चाहते हैं कि वकील उनके घर आयें; जबकि

युवा व्यक्ति उनसे किसी कार्यालय में मिलना बेहतर समझते हैं। यह फैसला आप कर सकते हैं। आपको जो समय सबसे अधिक सुविधाजनक हो, वह भी आप बता सकते हैं। इस दौरान भी आपके साथ कोई व्यक्ति बैठ सकता है, बशर्ते वह खुद गवाह न हो।

जब रिपोर्टर या वकील आपसे कोई सवाल पूछें तो हमेशा सच ही बोलें।

यह पुस्तिका पढ़ने के बाद भी हो सकता है आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें। वे उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

अदालत

पूरे स्कॉटलैंड में कई अदालतें हैं और वे अलग–अलग तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं।

कभी–कभी जब किसी पर कानून तोड़ने का अभियोग होता है तो अदालतें मुकदमों की सुनवाई करती हैं। अन्य समय, अदालतें बच्चों की सुनवाई के बारे में फ़ैसला करती हैं।

अदालत के प्रभारी शेरिफ़ होते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि युवा गवाहों सहित सभी गवाह, जो कुछ जानते हैं, अदालत को बताने में समर्थ हों।

शेरिफ़ आपकी 'गवाही' सुनेंगे और इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या हो।

अधिकतर अदालतें ऐसी इमारतें हैं, जिनमें एक से अधिक अदालत के कमरे होते हैं।

अदालत में कौन–कौन होते हैं और उनके काम क्या–क्या हैं?

शेरिफ़: हमेशा अदालत में मौजूद होते हैं। उनके काम का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ निष्पक्षता से हो और अदालत के नियमों का पालन किया जाये।

बच्चों के रिपोर्टर या वकील: वे लोग हैं जो सवाल पूछेंगे ताकि गवाह अपनी गवाही दे सकें।

क्लर्क: यह व्यक्ति अदालत के दस्तावेजों और रिकॉर्डों के लिए जिम्मेदार होता है।

कोर्ट ऑफिसर [जिसे कभी–कभी मेसर (macer) कहा जाता है]: यह व्यक्ति शेरिफ़ और अदालत में अन्य लोगों की मदद करने के लिए जिम्मेदार होता है। कोर्ट ऑफिसर गवाहों को यह भी बतायेगा कि उनकी गवाही देने की पारी कब है।

परिवार के कुछ सदस्य और एक हितरक्षक (safeguarder) भी वहाँ उपस्थित हो सकता है। हितरक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, जिसे आपके हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

जिस व्यक्ति ने आपको अदालत में आने के लिए कहा है, वह आपको यह भी बता सकेगा कि वहाँ और कौन–कौन मौजूद होगा।

जब अदालत, बच्चों की सुनवाई के किसी मामले पर विचार कर रही हो, तब आम जनता को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती।

अदालती कार्रवाई – आपको क्या करना है

अगर लोग बच्चों की सुनवाई के समय हुई कार्रवाई से सहमत हों, तो आपको अदालत आने या किसी सवाल का जवाब देने या गवाही देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अगर वे सहमत न हों, तो अदालत में सुनवाई हो सकती है और ऐसे में आपका काम अदालत को वह सब बताना है, जो आप जानते हैं।

शेरिफ़ को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है, ताकि वे मामले की सही तस्वीर पेश कर सकें। गवाहों के बिना शेरिफ़ को पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और वे मामले के अंत में समुचित निर्णय नहीं कर पायेंगे।

एक–एक करके, गवाह अदालत को बतायेंगे कि क्या हुआ था या उन्हें क्या जानकारी है। यही उनकी गवाही है।

गवाही देने में आपकी सहायता के लिए आपसे सवाल पूछे जायेंगे, जो अक्सर रिपोर्टर या वकीलों द्वारा पूछे जाते हैं। शेरिफ़ भी सवाल पूछ सकते हैं।

रिपोर्टर या वकील आपके साथ हुई किसी घटना या किसी अन्य के साथ हुई घटना के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। या वे आपसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जो आपने देखी या सुनी हो।

आपको ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता से सही–सही जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए।

एक गवाह के रूप में, आपका काम है सच–सच सवालों के जवाब देना, और जो आप जानते हैं, वह अदालत को बताना।

कुछ सवाल कठिन हो सकते हैं, या उनका जवाब देने में कुछ गोपनीय विषय उजागर करने पड़ सकते हैं। यह ठीक है। आप जानते होंगे कि अदालत अक्सर लोगों की व्यक्तिगत बातों की सुनवाई करती है, और उसे यह एहसास होता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। इसमें आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नही है, सोच–समझ कर सच्चाई बयान करने का प्रयास जारी रखें।

रिपोर्टर और वकील आपके बयान की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। वे जाँच–पड़ताल के लिए आपसे कुछ सवाल दोहरा सकते हैं। यह सामान्य बात है। असल मुद्दा यह है कि आपको अदालत के सामने सच्चाई बयान करनी है।

अदालत को बताना कि आप क्या जानते हैं

शेरिफ़ और वकील नहीं जानते कि क्या हुआ था। आपको उनकी मदद के लिए अदालत को यह बताना है कि आप क्या जानते हैं।

इसे आसान बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं।

- हर प्रश्न को **हमेशा ध्यान से सुनें।** प्रश्न का उत्तर दें लेकिन जल्दबाजी न करें।
- **स्पष्ट बोलें।** यदि आप साफ–साफ बोलेंगे तो शेरिफ़ आपको ठीक से सुन पायेंगे और आपसे बातें दोहराने को नहीं कहेंगे।
- बहुत–सी अदालतों में, जो कुछ होता है, उसे टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी एक कारण है कि आपको स्पष्ट बोलना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि **आप केवल सिर हिलाकर जवाब नहीं दे सकते। आपको जोर से बोलना पड़ेगा।**
- **आप अदालत को जो बताते हैं, वह आपकी अपनी गवाही है।** अदालत उसे आपके अपने शब्दों में सुनना चाहती है। **आपको क्या कहना है, इस बारे में किसी और को आपको नहीं बताना चाहिए।**

- **उत्तर देने से पहले सुनिश्चित करें कि आप समझ रहे हैं कि हर प्रश्न का क्या मतलब है।** यदि आप कोई शब्द या शब्द–समूह या प्रश्न का कुछ हिस्सा नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे कहिये कि उसे **समझायें या दूसरे शब्दों में कहें।** अनुमान मत लगाइये। तब तक पूछते रहिये, जब तक कि आप निश्चित रूप से समझ न जायें।

- यदि आप किसी उत्तर के बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते, या कोई बात याद नहीं कर सकते, तो वकीलों या जज से कह दीजिये। **अनुमान लगाने या उत्तर गढ़ने की कोशिश मत कीजिये।**

- **याद रखिये कि जो कुछ रिपोर्टर या वकील कहते हैं, हर उस बात से आपका सहमत होना जरूरी नहीं है** और आपको केवल उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कहना है। न तो आपको अपने मन से कोई बात गढ़नी है और न ही कुछ छोड़ना है।

- **सच बताना, आपका सबसे जरूरी काम है। हमेशा सच ही बोलें।**

आपको गवाही देने में मदद के लिए विशेष उपाय

अदालत में गवाही देना हमेशा आसान नहीं होता, खासतौर पर युवाओं के लिए। वयस्क लोग इस बात को समझते हैं कि आपको चिंता हो सकती है।

कानून अदालत को यह अनुमति देता है कि वह गवाही देने में आपकी मदद के लिए आपको विभिन्न तरीके उपलब्ध कराये।

रिपोर्टर या वकील आपसे पूछेंगे कि क्या आप गवाही देने के लिए इनमें से कोई तरीका पसंद करेंगेः

- **अदालत में ओट (स्क्रीन) का प्रयोग;**
- **अदालत की इमारत के अंदर किसी और कमरे से टेलीविजन लिंक का प्रयोग;**
- **जब आप ओट या टेलीविजन लिंक का प्रयोग कर रहे हों, तब अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को रखना।**

रिपोर्टर, वकील या सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी इन विभिन्न तरीकों के बारे में आपको बताने में मदद कर सकते हैं। **इन विभिन्न तरीकों को 'विशेष उपाय' कहते हैं।**

टेलीविजन लिंक का प्रयोग करना

आप अदालत में जाये बगैर, टेलीविजन लिंक का प्रयोग करके गवाह बन सकते हैं। यदि आप लोगों से भरी अदालत में जाने के बारे में चिंतित हैं तो यह आपकी मदद कर सकता है। **आप अदालत को अपनी गवाही देने के लिए इस टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं।**

टेलीविजन लिंक का कमरा आमतौर पर उसी इमारत में होता है, जिसमें अदालत होती है। यह टेलीविजन अदालत से जुड़ा होता है, जहाँ शेरिफ़, रिपोर्टर और वकीलों के पास भी टेलीविजन और कैमरे होते हैं। जब उन्हें चालू कर दिया जाता है, तो **आप प्रश्न करने वाले व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं देख सकते। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति आपको देख और सुन सकेगा।**

टेलीविजन और कैमरे शेरिफ़ द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब वकील आपसे बोल रहे हों, तब भी शेरिफ़ आपको और आपके सहायक के रूप में उस कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति को बराबर देख और सुन सकते हैं।

यदि आप टेलीविजन लिंक का प्रयोग करने का फैसला करते हैं, तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए:

- शेरिफ़, रिपोर्टर और वकीलों को इस तरीके में भी बातें लिखनी पड़ती हैं और कभी–कभी इसमें काफी देर लगती है। यदि प्रश्नों के बीच लंबा अंतराल हो, तो चिंता न करें।
- कभी–कभी रिपोर्टर या वकील मुड़कर शेरिफ़, या अदालत में अन्य लोगों से बातें करते हैं।
- कभी–कभी शेरिफ़, कैमरे को बंद कर देते हैं ताकि किसी कानूनी समस्या पर चर्चा की जा सके। यह आम बात है।

यदि आपको टेलीविजन या कैमरों में कोई समस्या दिखाई देती है, तो शेरिफ़ को बताना चाहिए। उदाहरण के लिए:

- यदि आपको रिपोर्टर या वकील के चेहरे या सिर का केवल कुछ हिस्सा ही दिखाई दे;
- या यदि उनके बोलने पर, आप उनके प्रश्न ठीक से न सुन पायें।

यदि इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप अदालत की इमारत में नहीं जा सकते, तो आप अदालत से दूर, किसी अन्य इमारत के कमरे से टेलीविजन लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका अनुरोध कर सकते हैं।

ओट (स्क्रीन) का प्रयोग करना

कुछ लोग अपनी गवाही देने के लिए अदालत में जाना पसंद कर सकते हैं।

आप ओट का प्रयोग करके भी गवाह बन सकते हैं।

यदि आप अदालत में किसी व्यक्ति विशेष को देखने के बारे में चिंतित हैं, तो यह आपकी मदद कर सकता है।

अदालत में एक ओट लगाई जा सकती है, ताकि आपको उस व्यक्ति को देखना न पड़े। यह ओट एक परदे की तरह होती है जो 'कमरे को अलग–अलग हिस्सों में बाँट' देती है।

आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकेंगे, लेकिन तब भी आप जज, शेरिफ़, रिपोर्टर, वकीलों, और अदालत के अन्य कर्मचारियों को देख सकेंगे।

यह ओट, आमतौर पर कैमरा के साथ इस्तेमाल की जाती है ताकि ओट की दूसरी तरफ बैठे, व्यक्ति आपको देख सकें।

सहायक व्यक्ति का उपयोग करना

आप ओट या टेलीविजन लिंक के साथ–साथ एक 'सहायक व्यक्ति' भी ले सकते हैं। कुछ युवाओं को अदालत में, अदालत के कमरे में या टेलीविजन लिंक के कमरे में पूरे समय अपने साथ किसी वयस्क सहायक व्यक्ति के बैठने से सहायता मिलती है।

अदालत आपसे पूछेगी कि क्या आप ऐसा चाहते हैं और आपको यह सोच लेना चाहिए कि आपके साथ बैठने के लिए कौन सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा।

आपका सहायक, गवाह सेवा का कोई व्यक्ति, किसी अन्य संगठन का कोई व्यक्ति, शिक्षक या कोई संबंधी भी हो सकता है।

यदि आपको ओट या टेलीविजन लिंक की जरूरत नहीं है, तो भी आप अदालत में अपने साथ किसी सहायक व्यक्ति को रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

गवाही देने में मदद का एक अन्य विशेष उपाय

आयोग में गवाही

नवंबर 2005 के बाद, कुछ मामलों में, रिपोर्टर या वकील यह भी फैसला कर सकते हैं कि अदालत में बाकी मुकदमा शुरू होने से पहले आपको अपनी गवाही देने दी जाये। यदि मुकदमें में बहुत देर होने की संभावना हो, तो आपको इससे मदद मिल सकती है। यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे आपसे बात करेंगे और आपको समझायेंगे कि इसका क्या मतलब है और इससे आपको कैसे मदद मिलेगी।

विशेष उपाय चुनना

गवाही देने के लिए आने से पहले, अदालत को यह बताना जरूरी है कि आप किस विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं।

यह बहुत आवश्यक है कि आप रिपोर्टर या वकील को यह बतायें कि आप गवाह बनने के बारे में क्या सोचते हैं और किन बातों के बारे में चिंतित हैं।

तभी वे आपकी यह फैसला करने में मदद कर सकते हैं कि कौन–सा विशेष उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे इस पुस्तिका को पढ़ने से भी आप जान सकते हैं कि आप किस विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं।

आप बिना किसी अतिरिक्त सहायता के भी गवाह बनना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है, आप टेलीविजन लिंक या ओट का प्रयोग न करना चाहें।

इस बारे में आपको बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए और स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक जानकारी माँगनी चाहिए।

याद रखें, अदालत आशा करती है कि सभी युवा लोगों को कुछ न कुछ सहायता दी जायेगी।

अदालत की तारीख़ पास आने पर आप यह भी फैसला कर सकते हैं कि गवाही देने के लिए आप कोई दूसरा तरीका ज्यादा पसंद करेंगे। रिपोर्टर या वकील को इसके बारे में बताइये और वे आपसे चर्चा करेंगे कि क्या करना है।

अदालत में जाना

हो सकता है, आप पहले कभी किसी अदालत में न गये हों।

अधिकतर युवा गवाही देने के बारे में बेहतर महसूस करते हैं, यदि उन्हें पता हो कि वहाँ क्या होने वाला है और वे पहले से अदालत को देख आये हों।

अदालत देखने जाने की व्यवस्था रिपोर्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील के साथ तय की जा सकती है।

इसके अलावा, आप सीडी–रॉम 'वर्चुअल' अदालत को भी देख सकते हैं।

यह वाकई बढ़िया तरीका है। आप वहाँ घूम–फिर सकते हैं, अदालत के कर्मचारियों से मिल सकते हैं और अगर चाहें, तो ओट या टेलीविजन लिंक के प्रयोग का अभ्यास भी कर सकते हैं। यदि आप किसी अन्य स्थान से गवाही देने जा रहे हैं तो अदालत के बजाय वहाँ जाने की व्यवस्था करायें।

गवाही देने के लिए प्रतीक्षा करना

अदालतें व्यस्त स्थान हैं और मुकदमा शुरू करने से पहले बहुत–सी योजनायें बनाने और तैयारियाँ करने की जरूरत होती है। यदि तारीख लेने में पहले ही लंबा समय लग चुका है, तो आप अभी से ऊबने लगे होंगे। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो रिपोर्टर, वकील, या फिर यदि आपका कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो उसे बताइये।

कभी–कभी, हो सकता है कि आपको बताया जाये कि तारीख़ बदल दी गई है या आप गवाही देना शुरू कर चुके हैं और आपसे कहा जाता है कि किसी और दिन आकर उसे पूरा करें।

आपको अपनी गवाही के लिए बारी की भी प्रतीक्षा करती पड़ सकती है। रिपोर्टर या वकील यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा समय प्रतीक्षा न करनी पड़े, फिर भी **अच्छा हो यदि आप समय बिताने के लिए अपने साथ कुछ लेकर आयें।** अधिकतर अदालतों में कुछ पुस्तकें या पत्रिकायें होती हैं लेकिन आप अपनी पसंद की सामग्री लेकर आयें तो बेहतर रहेगा। **कुछ अदालतों में खाने–पीने की चीजें खरीदी जा सकती हैं और इसे आप वहाँ जाने से पहले देख लें।** वरना आप अपने साथ भी कुछ ले जा सकते हैं।

आपके गवाही देने के बाद क्या होता है?

शेरिफ़, रिपोर्टर और अन्य वकीलों के सवाल पूछ लेने के बाद, शेरिफ़ आपको बतायेंगे कि कब आपकी गवाही खत्म हो चुकी है।

आपने एक बहुत महत्त्वपूर्ण काम पूरा कर लिया है।

शाबाश और धन्यवाद।

हो सकता है, शेरिफ़ तत्काल किसी फैसले पर न पहुँच सकें क्योंकि और भी गवाह हो सकते हैं। मुकदमों में एक दिन से अधिक समय लग सकता है।

शेरिफ़ यह फैसला कर सकते हैं कि मामले को वापस बच्चों की सुनवाई में भेज दिया जाये ताकि वे लोग बच्चे या युवा से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कर सके और तय कर सकें कि उसकी मदद के लिए क्या करना ज़रूरी है।

या फिर, शेरिफ़ फैसला कर सकते हैं कि मामला ख़त्म हो गया है और उसे वापस बच्चों की सुनवाई में भेजने की ज़रूरत नहीं है।

रिपोर्टर या वकील आपको परिणाम के बारे में बता सकते हैं। यदि आप परिणाम के बारे में निश्चिंत नहीं हैं या उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो रिपोर्टर या वकील से बात करके पूछिये कि क्या उन्हें आपको यह समझाने की अनुमति है।

फैसला कुछ भी हो, याद रखिये कि गवाह के रूप में आपका काम, मामले का बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।

सहायता माँगना याद रखें

मुकदमा शुरू होने से पहले, जिस किसी बात के बारे में आपको संदेह है, उसे रिपोर्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील से पूछिये।

जो भी बात आपको चिंतित कर रही हो, उसके बारे में उन्हें अवश्य बताइये। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में उनसे बात करिये।

आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको अदालत के कमरे या किसी अन्य टेलीविजन लिंक कमरे में जाने का अवसर मिले।

आपको सोचना चाहिए किः

- **आप कौन से विशेष उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं**
- **आप अपने साथ क्या ले जायेंगे**
- **आपके साथ कौन जायेगा**
- **आपका सहायक व्यक्ति कौन बनेगा**
- **आपको अन्य किस सहायता की आवश्यकता हो सकती है**

जब आप गवाही दे रहे हों, तो जिस बात के लिए आपको सहायता की आवश्यकता हो उसे अदालत में लोगों से कहिये।

आपको अदालत में लोगों को अवश्य बताना चाहिए यदिः

- **आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं**
- **आपको टिशू या पीने के पानी की जरूरत है**
- **आप अस्वस्थ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं**

सभी लोग आपकी भरसक मदद करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न?

गवाह बनने के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें लिख लेना अच्छा रहेगा, ताकि आप उन्हें रिपोर्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील या उस व्यक्ति को दिखा सकें जो आपको अदालत घुमाने ले जायेगा।

यह कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोचिये और उत्तर देने की कोशिश कीजियेः

प्रश्न?	उत्तर
जब मैं रिपोर्टर या वकील से मिलूँ, तब किसे अपने साथ रखना चाहता हूँ?	
मैं रिपोर्टर या वकील से कहाँ मिलना चाहता हूँ?	
मैं ओट या टीवी लिंक में से किसका प्रयोग करना चाहता हूँ?	
क्या मैं सहायक व्यक्ति चाहता हूँ?	
मेरा सहायक व्यक्ति कौन बन सकता है?	
मैं किन बातों के बारे में चिंतित हूँ?	
क्या मैं अदालत देखने जाना चाहता हूँ?	
मै शेरिफ़ को कैसे संबोधित करूँगा?	

क्या आपके कुछ प्रश्न हैं?

प्रश्न?	उत्तर

रिपोर्टर, वकील या सामाजिक कार्यकर्ता आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे।

हमारी न्याय प्रणाली इसी बात पर निर्भर है कि गवाह अदालत में आयें और जो कुछ जानते हैं, उसके बारे में सच–सच बतायें।

बिना गवाहों के, अदालतें ठीक तरह से काम नहीं कर सकतीं।

याद रखें, प्रत्येक गवाह पूरे मामले का केवल एक हिस्सा है।

जब आप गवाह बनते हैं, तो आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि अदालत क्या करने का फैसला करती है।

गवाह बनने के लिए आपका धन्यवाद।

शब्दावली – इन शब्दों के अर्थ क्या हैं?

अदालत में, लोग बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हो सकता है, आपने पहले कभी न सुना हो। उनमें से कुछ शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही हैः

आरोपः वह, जो कोई कहता है कि घटित हुआ है

साइटेशनः वह सरकारी फॉर्म या पत्र, जो गवाह को बताता है कि एक निश्चित तारीख अदालत में पहुँचे

क्लर्क (अदालत का)ः वह व्यक्ति जो अदालत के कागजात और रिकॉर्ड रखता है

क्रॉस एक्जामिनेशनः जिस व्यक्ति ने गवाह को अदालत में बुलाया है उसके बाद, अन्य वकीलों द्वारा सवाल पूछे जाना – देखें एक्जामिनेशन (इन चीफ)

कोर्ट केसः अदालत में एक व्यक्तिगत मुकदमा या कार्रवाई – देखिये सुनवाई

कोर्ट ऑफिसरः [कभी–कभी मेसर (**macer**) कहा जाता है]ः वह व्यक्ति जो शेरिफ़ की सहायता करता है – वह प्रत्येक गवाह को अदालत में बुलाने का भी काम करता है

कोर्ट विजिटः मुकदमे से पहले, गवाह का अदालत में जाना ताकि वह यह देख सके कि अदालत कैसी दिखती है और अदालत की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके

बच्चों की सुनवाई: जब रिपोर्टर और अन्य लोग मिलकर किसी बच्चे से संबंधित चिंताओं की चर्चा करते हैं

गवाहीः जो गवाह अदालत में कहता है – यह अदालत में लाई गई चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि फोटो, कपड़े या चित्र, ताकि यह दिखाया जा सके कि क्या हुआ था

एक्जामिनेशन (इन चीफ)ः उस वकील द्वारा की जाने वाली पूछताछ, जिसने गवाह को अदालत में बुलाया है। यह वकील गवाह से, अन्य वकीलों से पहले सवाल पूछता है – देखें क्रॉस एक्जामिनेशन

सुनवाई: यह बच्चों की सुनवाई हो सकती है या अदालती सुनवाई भी हो सकती है। यह वह दिन और समय है जब सभी लोग मिलकर मुकदमें पर चर्चा करते हैं या गवाही सुनते हैं – देखें बच्चों की सुनवाई

पहचान/शिनाख्तः जब गवाह उस व्यक्ति की ओर संकेत करना है जिसके बारे में वह बात कर रहा था – कभी–कभी यह मुकदमा शुरू होने से पहले होती है और कभी अदालत में भी हो सकती है

शपथः धर्म के नाम पर वचन देना कि गवाह, अदालत में गवाही देते समय सच बोलेंगे – गवाह बिना शपथ लिए भी सच बोलने का वचन दे सकता है – इसके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं

प्री–कॉग्निशनः रिपोर्टर या वकील द्वारा गवाह का इंटरव्यू, जिससे उन्हें मामला तैयार करने में मदद मिलती है

प्रस्तुतियॉ (प्रोडक्शन्स): सबूत के तौर पर अदालत में दिखाई जाने वाली वस्तुएँ – जैसे कि पत्र या कपड़े

रिपोर्टर: वह व्यक्ति जो बच्चे के हितों की रक्षा करता है और बच्चों की सुनवाई या अदालती सुनवाई के समय मौजूद रहता है

हितरक्षक: एक स्वतंत्र व्यक्ति जिसे बच्चे के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है

शेरिफः शेरिफ की अदालत में जज की उपाधि

समाजिक कार्यकर्ताः वह व्यक्ति जो बच्चों और वयस्कों के साथ उस स्थिति में काम करता है जब उन्हें अतिरिक्त सहायता या निगरानी की जरूरत हो।

विशेष उपायः किसी बाल गवाह या कमजोर वयस्क को गवाही देने में मदद के विभिन्न तरीके – जैसे कि टेलीविजन लिंक या ओट – देखें सहायक व्यक्ति

बयानः पुलिस द्वारा गवाह के बोलने की रिकॉर्डिंग या लिखे हुए नोट

सहायक व्यक्तिः वह व्यक्ति जो गवाह के अदालत में आने के समय उसके साथ रह सकता है – देखें विशेष उपाय

गवाहः वह व्यक्ति जिसके पास किसी विषय में जानकारी है और जो उसके बारे में अदालत को बता सकता है

गवाह सेवाः अदालत में मौजूद लोग, जो सभी गवाहों को समर्थन और सलाह उपलब्ध कराते हैं

आपके नोट्स

इस दस्तावेज की अन्य प्रतियाँ ऑडियो, बड़े अक्षरों और सामुदायिक भाषाओं में, अनुरोध करने पर उपलब्ध हैं।
कृपया संपर्क करें – 0131 244 2213।

© क्राउन कॉपीराइट 2005

यह दस्तावेज़ स्कॉटिश प्रशासन की वेबसाइटः www.scotland.gov.uk पर भी उपलब्ध है।

Astron B41393 06/05 (Hindi)

अन्य प्रतियाँ उपलब्ध हैं–
Blackwell's Bookshop
53 South Bridge
Edinburgh
EH1 1YS

फोन द्वारा ऑर्डर और पूछताछ
0131 622 8283 अथवा 0131 622 8258

फैक्स द्वारा ऑर्डर
0131 557 8149

ई–मेल द्वारा ऑर्डर
business.edinburgh@blackwell.co.uk

यह दस्तावेज़, मूल की हूबहू प्रतिकृति समझा जा सकता है

w w w . s c o t l a n d . g o v . u k